Supplement—II Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 46-2017] CHANDIGARH, TUESDAY, NOVEMBER 14, 2017 (KARTIKA 22, 1939 SAKA)

General Review

श्रम विभाग, हरियाणा की वर्ष 2015 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा।

दिनांक 31 अक्तूबर, 2017

नं० एस०टी०/2017/31359.—

1. दिनांक 1 जनवरी, 2015 से 20 फरवरी, 2015 तक श्री अरूण कुमार गुप्ता, आई.ए.एस., दिनांक 20 फरवरी, 2015 से 31 अक्टूबर, 2015 तक श्री सी.आर. राणा, आई.ए.एस. तथा 16 नवम्बर, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 तक श्री वजीर सिंह गोयत, श्रम आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़ में कार्यरत रहे।

2. विभाग का प्रशासनिक नियंत्रक दिनांक 1 जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 तक श्रीमती शशी गुलाटी, आई.ए.एस., प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार के पास रहा।

3. इस वर्ष की रिपोर्ट का वर्णन निम्न प्रकार हैः—

   (क) वर्ष 2015 के दौरान हड़ताल व तालाबन्दी के 3 केस हुए तथा दो कार्यबन्दियों का सफलतापूर्वक निपटारा करवाया गया तथा एक कार्यबंदी जारी है। इन कार्यबन्दियों के कारण 589 श्रमिकों पर प्रभाव पड़ा और 120156 श्रम दिवसों की क्षति हुई है। मजदूरी तथा उत्पादन क्षति क्रमशः 22.13 लाख तथा 77.16 लाख रुपये हुई है।

   (ख) समझौता अधिकारियों ने 4678 केसों को डील किया, जिनमें से 1065 मामलों में समझौता करवाया गया। 520 मामले वापिस लिये गये, 49 मामले रद्द व फाईल किये गये तथा 2600 विवाद अदालती निर्णय के लिये भेजे गये। अतः वर्ष के अन्त में 444 मामले लम्बित रहे।

   (ग) वर्ष के आरम्भ में 443 पंचाट तथा 25 समझौते परिपालना हेतु लम्बित थे वर्ष के दौरान 162 पंचाट/समझौते प्राप्त हुये। कुल 605 पंचाट तथा 25 समझौतों में से 77 पंचाट/समझौते लागू करवाये गये। इस प्रकार वर्ष के अन्त में 528 पंचाट तथा 25 समझौते परिपालना के लिए लम्बित रहे। पंचाट की परिपालना क्रमशः 12.73 प्रतिशत रही।

(घ) इसके अतिरिक्त विभाग के क्षेत्रीय स्टाफ ने श्रमिकों को देरी से वेतन देने, कम वेतन देने, नौकरी से हटाने तथा काम के घण्टों आदि से सम्बन्धित 2164 शिकायतों पर कार्यवाही की तथा 1953 शिकायतों का श्रमिकों की सन्तुष्टि अनुसार निपटारा करवाया गया। 211 शिकायते वर्ष के अन्त मे लम्बित रही। इस प्रकार शिकायतों के निपटान का प्रतिशत 90.24 रहा।

(ड) वर्ष के आरम्भ में 6008 औद्योगिक संस्थायें आवर्णित थी, जहां 50 या इससे अधिक श्रमिक कार्य करते थे। वर्ष के आरम्भ में 1757 औद्योगिक संस्थांओं में स्थाई आदेश प्रमाणित थे। वर्ष के दौरान 58 स्थाई आदेश प्रमाणित किये गये। इस प्रकार रिपोर्ट की अवधि के अन्त में 1815 संस्थओं के पास प्रमाणित स्थाई आदेश थे, जिनमें लगभग 281714 श्रमिक कार्य करते थे।

(च) वर्ष के आरम्भ में 1628 यूनियन पंजीकृत थी तथा 24 नई यूनियन पंजीकृत की गई तथा एक युनियन अपंजीकृत हुई। इस प्रकार वर्ष के अन्त में इनकी संख्या बढ़ कर 1651 हो गई।

(छ) इस अवधि के दौरान 378 नये कारखाने कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत किये गये तथा 130 कारखाने अपंजीकृत किये गये। इस प्रकार वर्ष के अन्त में पंजीकृत कारखानों की संख्या बढ़कर 11574 हो गई। इन पंजीकृत कारखानों में 866461 श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है। वर्ष के दौरान पंजीकृत कारखनों में 90 दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 42 घातक तथा 48 गम्भीर थी।

(ज) पंजाब दुकानात तथा वाणिज्य संस्थापना अधिनियम, 1958 पूरे राज्य में लागू रहा। वर्ष 2015 तक दुकानों, वाणिज्यक संस्थापनाओं, सिनेमा एवं होटल आदि की सख्यां 3,71,792 रही। जिनमें 14,61,769 श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया हुआ हैं।

(झ) समीक्षा अधीन वर्ष के दौरान विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत 29174 निरीक्षण किये गये। 4093 मामलों में चालान दायर किये गए। 3934 मामले दोषपूर्ण सिद्ध हुए जिनके फलस्वरुप 1,03,87,773 लाख रुपये जुर्माने के रूप में वसूल किये गये तथा 498 मामलों में चेतावनियां दी गई।

(ण) हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 2015 के दौरान 36514 श्रमिकों के कल्याण के लिए 22 कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत 2741.31 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। जिसमें से 738.35 लाख रुपये उक्त श्रमिकों के आश्रितों एवं विधवाओं को वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किये गये तथा 617.31 लाख रुपये कन्यादान योजना के तहत महिला श्रमिकों की स्वयं की शादी या श्रमिकों की लड़कियों की शादी हेतु कन्यादान के रूप में प्रदान किये गये। कन्यादान योजना के तहत 1211 श्रमिकों को लाभान्वित किया गया।

(त) हरियाणा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड दिनांक 02.11.2006 से अस्तित्व में आया है। बोर्ड द्वारा राज्य में भवन एवं सन्निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है जैसे कि शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, मात्तृव, शादी (कन्यादान) सहायता, औजार, साईकिल, दुर्घटना एवं प्राकृतिक मृत्यु के लिए वित्तीय सहायता, बुढ़ापा पैंशन, अपंगता पैंशन, अपंग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता इत्यादि। पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना के अन्तर्गत विशेष वित्तीय सहायता एवं सिलाई मशीन भी बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों के लिए कार्य स्थल पर स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही है और राज्य के मुख्य कस्बों/शहरों में श्रमिको के लिए लेबर चौक पर लेबर शैड, मोबाईल क्रैच की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। सैस के रूप में एकत्रित की गई राशि प्रमुखतः भवन एवं सन्निर्माण में पंजीकृत श्रमिकों के कल्याण के लिए उपयोग की जाती है। बोर्ड द्वारा 1 जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 के दौरान कलयाणकारी योजनाओं के अन्तर्गत 33936 लाभार्थियों पर 33.06 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। बोर्ड द्वारा वर्ष 2015 में 228.40 करोड़ रुपये सैस एकत्रित किया गया है।

विजय वर्धन,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

REVIEW OF ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT ON THE WORKING OF LABOUR DEPARTMENT, HARYANA FOR THE YEAR, 2015

The 31st October, 2017

S.T./2017/31359.—

1. Sh. Arun Kumar Gupta, IAS remained posted as Labour Commissioner, Haryana from 01-01-2015 to 20-02-2015, Sh. C.R. Rana, IAS from 20.02.2015 to 31.10.2015 and Sh. Wazir Singh Goyat, IAS from 16.11.2015 to 31.12.2015.

2. The Administrative control of the Department remained under Smt. Shashi Gulati, IAS, Principal Secretary to Government of Haryana from 01.01.2015 to 31.12.2015.

3. During the year under report:-

   a. There were 3 work Stoppages during the year 2015. Two work Stoppages were resolved successfully and one work stoppage continued. These work-stoppages affected 589 workers and resulted in a loss of 120156 mandays. The loss of wages and production was Rs. 2213 lac and 77.16 lac respectively.

   b. The conciliation officers of the department handled 4678 disputes. Out of these settlements were brought out in 1065 cases. 520 cases were withdrawn, 49 were filed/ rejected and 2600 were sent for adjudication and 444 disputes remained pending at the end of the year.

   c. 443 awards and 25 agreements were pending for implementation at the beginning of the year. 162 awards/ agreements were added during the year under review. Out of these 605 awards and 25 agreements, 77 awards/agreements were got implemented. Thus 528 awards and 25 agreements remained pending for implementation at the end of the year. As such the percentage of implementation of awards and agreements comes to 12.73%.

   d. 2164 complaints of the workers regarding delayed payment of wages, less payment of wages, termination of services, leave and hours of work etc. were handled by the field staff of the department, of which 1953 were settled to the satisfaction of the workers leaving a balance of 211 complaints pending at the close of the year. As Such 90.24 percentages of complaints have been settled.

   e. There were 6008 establishments employing 50 or more worker. Out of it 1757 industrial establishments had certified Standing Orders. 58 Standing Orders were certified during the year. Thus the number of certified Standing Orders at the end of the year rose to 1815 giving employment to about 281714 workers.

   f. At the beginning of the year there were 1628 registered Trade Unions in the State. During the year 24 new unions were registered and one union was de-registered thus at the end of the year the number increased to 1651.

   g. 378 new factories were registered and 130 Factories de-registered under the Factories Act, 1948. Thus the total number of registered factories rose to 11574 at the end of the year giving employment to 866461 workers. There occurred 90 accidents in registered factories during the year of which 42 were fatal and 48 were serious in nature.

   h. The Punjab shops and commercial Establishments Act, 1958 remained applicable in whole of the State. The number of shops, commercial establishments, cinemas and hotels etc. were 371792 employing 14,61,769 workers.

   i. During the year under review 29174 inspections were conducted under various labour laws. 4093 prosecutions were launched and convictions were obtained in 3934 cases. As a result of it a sum of Rs. 1,03,87,773 lacs was realised as fine. Warnings after compliance of violations were issued in 498 cases to employer.

   j. An amount of Rs. 2741.31 lac has been disbursed to 36514 workers under 22 Welfare Schemes of Haryana Labour Welfare Board during the year 2015 out of which an amount of Rs. 738.35 Lac was disbursed to the dependents/widows of deceased industrial workers and an amount of Rs. 617.31 lac has been spent under ‘Kanyadaan Scheme’ as Kanyadaan for self marriage in case of female workers and for the marriage of daughters of industrial workers. 1211 workers have been benefitted under Kanyadaan scheme.

k. The Haryana Building and Other Construction Workers Welfare Board has come into force w.e.f. 02.11.2006. The Board is running various schemes for the welfare of building and other construction workers in the State like Finanacial Assistance for Education, Maternity, Marriage Assistance (Kanyadaan), Tools, Cycle, Financial Assistance in case of Accidental and Natural Death, Old age pension, Disability pension, Financial Assistance for Disabled Children etc., Special Financial Assistance for Women Construction worker under the scheme Mukhya Mantri Mahila Sharmik Samman Yojna and Sewing machine is also being provided by the Board. In addition to these schemes the registered construction workers are also being provided health facilities at the work site through the Health Department, facilities of Mobile Toilets, Mobile Creche and Labour Shed at Labour Chowks of the important towns of the State. The funds collected as cess is primarily utilized for the welfare of registered Building and Other Construction Workers. An amount of Rs. 33.06/- crore have been spent for extending benefits to 33936 beneficiaries on welfare schemes during the period 1st January to 31st December, 2015. However the cess amount of Rs. 228.40/- crore was collected during the calendar year 2015.

VIJAI VARDHAN,
Addl. Chief Secretary to Government Haryana,
Labour Department.

55743—C.S.—H.G.P., Chd.